न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 49/2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र मील, प्रवर्तन निरीक्षक, (छीपाबड़ौद) (प्रार्थी)

बनाम

श्री सत्यनारायण पुत्र श्यामसुंदर, निवासी छीपाबड़ौद

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. कृष्णकांत शर्मा एडवोकेट (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.07.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2024 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के कम में मैं प्रार्थी हमराह श्री रविन्द्र कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, अस्पताल रोड छीपाबड़ौद स्थित श्री कृष्णा नमकीन एवं स्वीट्स दुकान पर पहुंचे। मौके पर सत्यनारायण पुत्र श्यामसुंदर, निवासी छीपाबड़ौद, उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के बिन्दु संख्या 3,4,5 व 7 का उल्लंघन पाये जाने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स प्रिंस एचपी गैस एजेन्सी छीपाबड़ौद की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी की दूकान श्री कृष्णा नमकीन एण्ड स्वीट्स के नाम से अस्पताल रोड छीपाबड़ौद जिला बारां मे अवस्थित है एवं अप्रार्थी ने प्रिंस एच.पी. गैस एजेन्सी छीपाबड़ौद से अप्रार्थी एवं उसके पिता के नाम से 3 घरेलू सिलेण्डर जारी करवाये हुये है तथा अप्रार्थी की बहिन सीमाबाई पत्नि राजेन्द्र कुमार के भी नाम से एक घरेलू इन्डेन गैस सिलेण्डर भी जारी किया हुआ है।

उक्त सभी सिलेण्डर अप्रार्थी द्वारा समय ... पर अपनी दूकान पर आने वाली गाडी से भरवाकर अपनी बहन के यहां तथा ... भिजवाये जाते है इस दौरान जब भी समय मिलता है गैस एजेन्सी पर जाकर नये सिलेण्डर लेकर नही आ जाता, तब तक उक्त सभी सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान पर ही रखे जाते है ताकि समय मिलने पर उनको भरवाया जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज॰)

दिनांक 9.12.2024

अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान के लिए दो व्यवसायिक सिलेण्डर एक एच.पी. एवं एक इण्डियन का जारी करवाया हुआ है जिनका उपयोग सदैव से वह अपने व्यवसाय के लिये करता चला आ रहा है एवं समय समय पर उक्त सिलेण्डर खाली होने पर पुनः भरवाकर उपयोग किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैधानिक कृत्य आज तक नहीं किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार कानून के दायरे मे रहकर अपना व्यवसाय किया जाता रहा है। किन्तु परिवादी द्वारा अप्रार्थी से अवैध वसूली करने का प्रयास किया जाता रहा है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार अपना व्यवसाय किये जाने के कारण परिवादी को कभी किसी प्रकार का परितोषण नहीं दिया गया है जिससे परिवादी अकारण द्वेष रखता है एवं येन केन प्रकारेण अप्रार्थी को परेशान करने का प्रयास करता रहता है एवं इसी के लिये उसके द्वारा परिवादी से मिलीभगत कर परिवादी के पास झूठी शिकायत कर उक्त घरेलू कनैक्शनो के गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु अप्रार्थी की दूकान में रखे होने के कारण जबरन उन्हे उठाया गया तथा उसे इस मामले मे अवैध उपयोग का केस बनाते हुये शामिल कर दिया गया। अप्रार्थी को परिवादी द्वारा उक्त मामले में द्वेषतापूर्ण फंसाया गया है अप्रार्थी द्वारा कभी भी सिलेण्डरो का उपयोग व्यवसायिक कार्य नही किया गया है किन्तु फरियादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त मामला तैयार किया गया है जो मनगढन्त आधारो पर तैयार कर फर्जी तरीके से बनाया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब नोटिस परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध तैयार किये गये उक्त मामले को निरस्त फरमाकर अप्रार्थी को उक्त मामले से मुक्त किया जावे ।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को परिवादी द्वारा उक्त मामले मे द्वेषतापूर्वक फंसाया गया है अप्रार्थी द्वारा कभी भी सिलेण्डरो का उपयोग व्यवसायिक कार्य नही किया गया है किन्तु फरियादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त मामला मनगढन्त तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। परिवादी द्वारा अप्रार्थी से अवैध वसूली करने का प्रयास किया जाता रहा है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार अपना व्यवसाय किये जाने के कारण परिवादी को कभी किसी प्रकार का परितोषण नहीं दिया गया है जिससे परिवादी अकारण द्वेष रखता है एवं येन केन प्रकारेण अप्रार्थी को परेशान करने का प्रयास करता रहता है एवं इसी के लिये उसके द्वारा परिवादी से मिलीभगत कर परिवादी के पास झूठी शिकायत कर उक्त घरेलू कनैक्शनो के गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु अप्रार्थी की दूकान में रखे होने के कारण जबरन उन्हे उठाया गया तथा उसे इस मामले मे अवैध उपयोग का केस बनाते हुये शामिल कर दिया गया। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध तैयार किये गये उक्त मामले को निरस्त फरमाकर अप्रार्थी को उक्त मामले से मुक्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया हम बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों से पूर्णतया सहमत हैं तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दिनांक 9.12.2024 … सुपुर्दगीनामा …

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 12885, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर [illegible]45, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 735188P, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर 891405T का उपयोग व्यवसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि एक गैस सिलेण्डर की कुल 2500/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स प्रिंस एचपी गैस एजेन्सी छीपाबड़ौद को कीमत पर दिया जावे तथा उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.08.27 11:15:13 IST
Reason: SelfAttested